प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

सेवा में

राज्य के सभी
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांक 20/1-2012 ET-II(3)
दिनांक पंचकूला 27.04.2017

विषयः नवचयनित जे0बी0टी0 अध्यापकों के कार्यग्रहण करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

विज्ञापन क्रमांक 02/2012 कैटगरी नं0–1 के समक्ष चयनित .... उम्मीदवारों की सूची व आवेदन फार्म भेजते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय द्वारा इन उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि व चरित्र की जांच नहीं करवाई गई है, की जांच करवाने उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के आधार पर अस्थाई नियुक्ति प्रदान करें:–

1. उम्मीदवार शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा इत्यादि की स्वसत्यापित प्रतियां जमा करवाएगा।
2. चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति जोकि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जारी किया गया हो। यह प्रमाण पत्र पंजाब नागरिक सेवा नियम (वाल्यूम–1 भाग–1) के नियम 3.8 के अनुसार बनवाना होगा।
3. राजपत्रित अधिकारी, जोकि उम्मीदवार को नजदीकी सम्बन्धी या रिश्तेदार न हो, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. यदि उम्मीदवार विवाहित है तो एक से अधिक जीवित पति या पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
5. यदि उम्मीदवार के द्वारा पिछले बारह महीनों के दौरान टीकाकरण नहीं करवाया है तो वह कार्यग्रहण करने से पूर्व अपना अपेक्षित टीकाकरण करवाएगा।
6. उम्मीदवार को किसी भी न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो, बारे शपथ पत्र।
7. यदि उम्मीदवार पहले से किसी सरकारी सेवा में कार्यरत है तो वह अपने नियोक्ता से अनापत्ति/मुक्ति रिपोर्ट।
8. उम्मीदवार को इस विभाग से किसी अन्य विभाग में रोजगार के आवेदन को उसकी तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के बाद ही विचार में लाया जाएगा।

9. उम्मीदवार सेवानियमों के नियम–12 के उपनियम (1–ए) के अनुसार प्रथम नियुक्ति से आरम्भ कर पांच वर्ष के लिए लगातार अवधि तक ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करेगा।

10. उम्मीदवार द्वारा उच्चतर योग्यताएं रखने की दशा में उसे किसी भी प्रकार का उच्च वेतनमान या भत्ते नहीं दिए जाएंगे।

11. सेवा काल के दौरान किसी भी समय सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उम्मीदवार का चरित्र सही न पाए जाने की स्थिति में उसकी सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएंगी।

12. यह नियुक्ति प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज एल0पी0ए0 क्रमांक 686/2016 प्रदीप कुमार बनाम हरियाणा सरकार व एल0पी0ए0 क्रमांक 712, 720, 882, 851, 852, 1631/2016 एवं सी0डब्लयू0पी0 क्रमांक 2203/2016 (ओ0एंड0एम0) में होने वाले निर्णयों के अधीन हैं।

13. उम्मीदवार की मैरिट एस0एल0पी0 क्रमांक 7820/2013 व अन्य सम्बद्ध केसों के साथ माननीय र्स्वोच्चय न्यायालय में विचाराधीन है, पर निर्भर है। अतः इन केसों का अंतिम निर्णय आने उपरान्त कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उम्मीदवार की मैरिट पुनः निर्धारित की जा सकती है।

14. उम्मीदवार को यह जिला अस्थाई रूप से आंबटित किया गया है तथा निदेशालय द्वारा जिला आंबटन बारे अंतिम निर्णय लेने उपरान्त उम्मीदवार का जिला पुनः आंबटित किया जा सकता है।

15. सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान या अन्य किसी भी स्थिति में उम्मीदवार के द्वारा सम्मिलित कराए गए प्रमाण पत्रों में से कोई एक या ज्यादा अवैध या झूठे या जाली या असत्य पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को कार्यग्रहण न करवाया जाए।

16. उपरोक्त के अतिरिक्त कर्मचारी चयन आयोग के पत्र क्रमांक HSSC/Confd/Education/2015/461 दिनांक 29.12.2015 की प्रति भेजकर आपको निर्देश दिए जाते है कि चयनित अभ्यार्थियों में से ऐसे अभ्यार्थी जिन्होने जे0बी0टी0/डी0एड0 किसी भी संस्थान से 08.12.2012 के बाद पास की है, उनकी सूची बनाकर मूल आवेदन फार्मो को तुरन्त निदेशालय में वापिस भेजा जाए। ऐसे अभ्यार्थियों को याचिका क्रमांक 22859/2015 नरेन्द्र कुमार बनाम हरियाणा सरकार में माननीय उच्च न्यायलय के अन्त्रिम आदेश दिनांक 11.11.2014 के अनुसार नियुक्ति प्रदान नही की जानी है। कर्मचारी चयन आयोग का पत्र संलग्न है।

17. यहां पर स्पष्ट किया जाता है कि याचिका क्रमांक 22995/2010 कविता कुमारी बनाम हरियाणा सरकार तथा याचिका क्रमांक 03/2011 प्रवीन कुमारी बनाम हरियाणा सरकार व अन्य सम्बद्व याचिकाओं में वर्ष 2011 में नियुक्त ऐसे जे0बी0टी0 अध्यापक जो अंगूठा/हस्ताक्षर जांच में फर्जी पाए गए है व उनके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय के

आदेशों की पालना में अपराधिक मुकदमें दर्ज है तथा विभागीय कार्यवाही नियम–7 के तहत चल रही है। यदि ऐसे उम्मीदवार इस भर्ती में चयन होकर आपके समक्ष नियुक्ति के लिए प्रस्तुत होते है तो इन उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान नही की जाए व इस बारे तुरन्त निदेशालय को सूचित करे।

18. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए जाते है कि यदि आपके जिले में गलती से कोई आवेदन फार्म किसी अन्य जिले के उम्मीदवार का पंहुच जाए तो उसे तुरन्त निदेशालय को वापिस भेजा जाए व किसी प्रकार की खामी बारे तुरन्त निदेशालय को सूचित करे।
19. उम्मीदवार मौलिक शिक्षा विभाग, हरियाणा व हरियाणा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों, दिशानिर्देशों, नियमों, विधियों इत्यादि के अधीन होगा।
20. उपरोक्त उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन कार्यग्रहण के उपरान्त करवा लिया जाए।

इसके अलावा आरक्षित वर्ग के समक्ष चयनित उम्मीदवारों का जाति प्रमाण पत्र के साथ–साथ हरियाणा निवासी होने का प्रमाण पत्र लेकर व जांच करवाने उपरान्त ही इन उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान की जाए।

संलग्नः– ....उम्मीदवारों की सूची व आवेदन फार्म।

21/5/17

संयुक्त निदेशक
कृते0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

कार्यालय आदेश

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी............................

क्रमांक :..............................   दिनांक :......................

निदेशक, मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, शिक्षा सदन के आदेश पत्र क्रमांक 20/1–2012 अ0स्था0–II (3) दिनांक 27/5/2017 की अनुपालना में निम्नलिखित चयनित उम्मीदवारों को कनिष्ठ बेसिक अध्यापक (Primary Teacher. PRT/JBT) के पद पर *'हरियाणा प्राथमिक शिक्षा जिला सम्वर्ग (समूह–ग) सेवा नियम, 2012'* के तहत वेतन समूह मानक (ग्रेड) (9300–34,800) रूपये + 4200/– रूपये मानक (ग्रेड) वेतन + निर्धारित भत्ते जोकि हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किए जाते हैं, के अनुसार निम्नवर्णित शर्तों एवं नियमों के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है।

उम्मीदवार का पासपोर्ट आकार का छायाचित्र	1. अभ्यर्थी का नामः		
	2. पिता का नामः पति का नामः		
	3. योग्यता क्रमांक	4. अनुक्रमांक	5. वर्ग
6. पूरा पता	7. आबंटित खण्ड	8. अस्थाई आंबटित जिला	
	9. नियुक्ति विद्यालय		
10. मोबाईल नं0	11. दूरभाष नं0 व ई.–मेल पता		

नियम एवं शर्तेः–

1. उम्मीदवार सेवा नियमों के नियम 10 (1) के अनुसार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगा।
2. उम्मीदवार सेवा नियमों के नियम 10 (2) के अर्न्तगत परिवीक्षा अवधि के दौरान अपेक्षित आचरण के लिए उत्तरदायी होगा।
3. उम्मीदवार की परिवीक्षा अवधि, कुछ स्थितियों में सेवा नियमों के नियम 10 (3) के तहत दो वर्ष से ज्यादा भी बढ़ाई जा सकेगी।
4. त्यागपत्र अथवा पद समाप्ति या अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति के अलावा अन्य मामलों में सेवा मुक्ति की परिस्थति में दोनों पक्षों को एक मास का नोटिस या एक महीने का वेतन जमा करवाना होगा बशर्ते सेवा नियमों की अन्य शर्तें पूरी होती हों।
5. इस नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा या दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
6. उम्मीदवार को इस प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में कार्यग्रहण करने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर शपथ लेनी होगी तथा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर जमा करायेगा।
   - (i) दसवीं उत्तीर्ण का स्वसत्यापित प्रमाण पत्र।
   - (ii) अन्य शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यताओं के स्वसत्यापित प्रमाण पत्र।
   - (iii) चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति जोकि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जारी किया गया हो। यह प्रमाण पत्र पंजाब नागरिक सेवा नियम (वाल्यूम–1 भाग–1) के नियम 3.8 के अनुसार बनवाना होगा।
   - (iv) राजपत्रित अधिकारी, जोकि उम्मीदवार को नजदीकी सम्बन्धी या रिश्तेदार न हो, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
   - (v) यदि उम्मीदवार विवाहित है तो एक से अधिक जीवित पति या पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।

7. यदि उम्मीदवार के द्वारा पिछले बारह महीनों के दौरान टीकाकरण नहीं करवाया है तो वह कार्यग्रहण करने से पूर्व अपना अपेक्षित टीकाकरण करवाएगा।
8. उम्मीदवार को इस विभाग से किसी अन्य विभाग में रोजगार के आवेदन को उसकी तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के बाद ही विचार में लाया जाएगा।
9. उम्मीदवार सेवानियमों के नियम–12 के उपनियम (1–ए) के अनुसार प्रथम नियुक्ति से आरम्भ कर पांच वर्ष के लिए लगातार अवधि तक ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करेगा।
10. उम्मीदवार द्वारा उच्चतर योग्यताएं रखने की दशा में उसे किसी भी प्रकार का उच्च वेतनमान या भत्ते नहीं दिए जाएंगे।
11. सेवा काल के दौरान किसी भी समय सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उम्मीदवार का चरित्र सही न पाए जाने की स्थिति में उसकी सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएंगी।
12. यह नियुक्ति प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज एल0पी0ए0 क्रमांक 686/2016 प्रदीप कुमार बनाम हरियाणा सरकार व एल0पी0ए0 क्रमांक 712, 720, 882, 851, 852, 1631/2016 एवं सी0डब्लयू0पी0 क्रमांक 2203/2016 (ओ0एंड0एम0) में होने वाले निर्णयों के अधीन हैं।
13. उम्मीदवार की मैरिट एस0एल0पी0 क्रमांक 7820/2013 व अन्य सम्बद्ध केसों के साथ माननीय सर्वोच्चय न्यायालय में विचाराधीन है, पर निर्भर है। अतः इन केसों का अंतिम निर्णय आने उपरान्त कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उम्मीदवार की मैरिट पुनः निर्धारित की जा सकती है।
14. उम्मीदवार को यह जिला अस्थाई रूप से आंबटित किया गया है तथा निदेशालय द्वारा निकट भविष्य में पदों के वैज्ञानिकरण या सरकार द्वारा लिए गये अन्य निर्णय अनुसार उम्मीदवार का जिला पुनः आंबटित किया जा सकता है।
15. सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान या अन्य किसी भी स्थिति में उम्मीदवार के द्वारा सम्मिलित कराए गए प्रमाण पत्रों में से कोई एक या ज्यादा अवैध या झूठे या जाली या असत्य पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
16. उम्मीदवार मौलिक शिक्षा विभाग, हरियाणा व हरियाणा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों, दिशानिर्देशों, नियमों, विधियों इत्यादि के अधीन होगा।

यदि उपरोक्त वर्णित शर्तें व स्थितियां उम्मीदवार को स्वीकार्य हों तो वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के अर्न्तगत अपना कार्यग्रहण संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक .... से दिनांक .... के बीच कर सकता है। ऐसा न कर पाने की स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी या अभ्यर्थन पूर्ण रूप से रद्द घोषित कर दिया जाएगा तथा इस खाली हुए पद को अगले योग्य अभ्यर्थी को प्रस्तावित कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर.....................................
नाम (   )
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
..............................हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक..................... **दिनांक ....**

आदेश की एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:–

1. निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकुला।
2. महालेखाकार हरियाणा, चण्डीगढ़। (ए. एवम् ई.)
3. उपायुक्त.......................
4. अतिरिक्त उपायुक्त ....
5. निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, हरियाणा, गुड़गांव।
6. जिला परियोजना, समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान ....
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी..................................
8. खण्ड शिक्षा अधिकारी.......................................
9. सम्बन्धित कर्मचारी।

हस्ताक्षर.....................................
नाम (   )
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
..............................हरियाणा।